संख्या-24/2018/997/सैंतीस-2-2018-1(35)/2014टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-16 मार्च, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना-आर.आई.डी.एफ. (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-237/सा0-1/एक्स-120(189)/आरआईडीएफ-21/पा.क्ली./2015-16, दिनांक-03.11.2017 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-84/सैंतीस-2-2018-1(35)/2014, दिनांक-04.03.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-14-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (आर.आई.डी.एफ.) (राज्य योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य' में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित पशु चिकित्सा पालीक्लीनिकों के निर्माण हेतु कुल रू0-2271.71 लाख (रूपये बाईस करोड़ इकहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	मण्डल का नाम	पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना हेतु संस्था/स्थल का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1-	इलाहाबाद	राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र कॉटी, इलाहाबाद	324.53
2-	मिर्जापुर	राजकीय पशुचिकित्सालय ज्ञानपुर, जनपद भदोही प्रांगण	324.53
3-	देवीपाटन	पशुचिकित्सालय सदर, गोण्डा व राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, गोण्डा	324.53
4-	कानपुर	वीर्य संग्रह केन्द्र, रावतपुर, कानपुर नगर	324.53
5-	बरेली	बुखारा-फरीदपुर मार्ग पर ग्राम पंचायत क्यारा, वि.ख. क्यारा, बरेली	324.53
6-	मेरठ	ग्राम बादलपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर	324.53
7-	सहारनपुर	राजकीय पशुचिकित्सालय रामपुर-मनिहारनपुर	324.53
योग-			**2271.71**

(रूपये बाईस करोड़ इकहत्तर लाख इकहत्तर हजार मात्र)

(1) उपरोक्त पशु चिकित्सा पालीक्लीनिकों के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

(2) निर्माण कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक-14.06.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-1323/सैंतीस-2-2016-1(35)/14, दिनांक-24.06.2016 द्वारा निर्गत आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की धनराशि आहरित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। निर्धारित मानक मद से इतर अन्य किसी मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता होगी।

(7) निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(8) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(11) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-14-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (आर.आई.डी.एफ.) (राज्य योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-24/2018/997(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), गोमती नगर, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in